

**समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर
उत्तरप्रदेश।**

निर्माता-निर्यातकों के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-247/ग्यारह--9(341)/09-उ0प्र0अधि0-5-08-आदेश-(58)-2010, दिनांक 24-2-2010 द्वारा निम्न विज्ञप्ति जारी की गयी है :-

In exercise of the powers under clause (c) of section 7 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that no tax shall be payable under the said Act, with effect from April 01, 2010 on the turnover of direct sale to or direct purchase by manufacturer-exporter of any raw materials, processing material, consumable stores, spare parts, accessories, components, lubricants, fuel other than petrol and diesel and packing materials for use in the manufacture of goods by him or in the packing of goods manufactured by him subject to the following conditions.

उक्त विज्ञप्ति में प्रदत्त शर्तों में विक्रेता व्यापारी को इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माता-निर्यातक से कमिश्नर द्वारा विहित प्रपत्र में घोषणा-पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करने का प्राविधान है जिसके लिए फार्म-ई निर्धारित किया जाता है। मुख्यालय के परिपत्र संख्या-वैट-फार्म-डी रख रखाव प्रक्रिया /2007-08/511/ वाणिज्य कर दिनांक 14-1-08 द्वारा डीजल आयल, फरनेस आयल आदि के निर्माताओं द्वारा खरीद के लिये फार्म-डी निर्धारित किया गया था जिसे परिपत्र संख्या- 680/ दिनांक 13-3-08 द्वारा संशोधित किया गया था। इस फार्म-डी की भाँति सर्वभित्त विज्ञप्ति दिनांक 24-2-2010 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माता-निर्यातकों को उसके द्वारा निर्मित माल के निर्माण या उसके द्वारा निर्मित माल के पैकिंग में किसी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, कन्ज्यूमेबुल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, पुर्जो, लुब्रीकैन्ट्स, पेट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन और पैकिंग सामग्री की सीधी बिक्री या सीधी खरीद हेतु प्रारूप फार्म-ई निर्धारित किया जाता है तथा इसके रख-रखाव व प्रयोग उपरोक्त परिपत्र दिनांक 13-3-09 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाएगा। फार्म-ई का प्रयोग करने के पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म-ई की मूल प्रति पर ईई सीरीज के टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र के प्रतियाँ पर्याप्त मात्रा में करवाकर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों / व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(चन्द्र भानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पू0प0स0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0
- (5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2(वि0अनु0शा0). वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

फार्म - ई

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति सं०-क०नि०-2-247/ग्यारह-9(341)/09-30प्र०अधि०-5-08-आदेश-(58)-2010 दिनांक 24-2-2010]

निर्माता-निर्यातक व्यापारी द्वारा कर योग्य वस्तुओं की खरीद के संबंध में विक्रेता को जारी किये जाने वाला घोषणा-पत्र

(मूल प्रति - करनिर्धारण प्राधिकारी के लिए)

बुक संख्या-----

क्रम संख्या-----

करनिर्धारण
अधिकारी द्वारा
प्रमाणीकरण
हस्ताक्षर, नाम
व मुहर सहित

1-	क्रेता का नाम व पता										
2-	टिन	प्रभावी तिथि									
3-	करनिर्धारण वर्ष	-									
4-	माह का अंतिम दिनांक										
5-	विक्रेता का नाम व पता										
6-	टिन	प्रभावी तिथि									

खरीद का विवरण

क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं -----पुत्र / पुत्री / पत्नी----- प्रास्थिति-----, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -
तिथि -
मुहर

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-ई व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 सार्ज में प्रिन्ट करवाएगा।
9. फार्म-ई जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-ई का विवरण फार्म-ई के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म-ई प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. एक फार्म-ई की अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹ 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र० सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	दिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

फार्म - ई

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञापित सं०-क०नि०-2-247/ग्यारह-9(341)/09-30प्र०अधि०-5-08-आदेश-(58)-2010 दिनांक 24-2-2010]

निर्माता-निर्यातक व्यापारी द्वारा कर योग्य वस्तुओं की खरीद के संबंध में विक्रेता को जारी किये जाने वाला घोषणा-पत्र

करनिर्धारण
अधिकारी द्वारा
प्रमाणीकरण
हस्ताक्षर, नाम
व मुहर सहित

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या-----

क्रम संख्या-----

1-	क्रेता का नाम व पता												
2-	टिन											प्रभावी तिथि	
3-	करनिर्धारण वर्ष	-											
4-	माह का अंतिम दिनांक												
5-	विक्रेता का नाम व पता												
6-	टिन											प्रभावी तिथि	

खरीद का विवरण

क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं -----पुत्र / पुत्री / पत्नी----- प्रास्थिति-----, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -
तिथि -
मुहर

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-ई व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा।
9. फार्म-ई जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-ई का विवरण फार्म-ई के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म-ई प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. एक फार्म-ई की अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹0 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र० सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

फार्म - ई

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञापित सं०-क०नि०-2-247/ग्यारह-9(341)/09-30प्र०अधि०-5-08-आदेश-(58)-2010 दिनांक 24-2-2010]
निर्माता-निर्यातक व्यापारी द्वारा कर योग्य वस्तुओं की खरीद के संबंध में विक्रेता को जारी किये जाने वाला घोषणा-पत्र

करनिर्धारण
अधिकारी द्वारा
प्रमाणीकरण
हस्ताक्षर, नाम
व मुहर सहित

(प्रतिपत्र - क्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या-----

क्रम संख्या-----

1-	क्रेता का नाम व पता										
2-	दिन	प्रभावी तिथि									
3-	करनिर्धारण वर्ष										
4-	माह का अंतिम दिनांक										
5-	विक्रेता का नाम व पता										
6-	दिन	प्रभावी तिथि									

खरीद का विवरण

क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं -----पुत्र / पुत्री / पत्नी----- प्रास्थिति-----, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -
तिथि -
मुहर

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-ई व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतिभों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपत्र) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपत्र क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा।
9. फार्म-ई जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-ई का विवरण फार्म-ई के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म-ई प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. एक फार्म-ई की अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹ 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र० सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	दिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि